राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–292/2013

नीता वर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन उप सचिव, खान (ग्रुप–1) सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. अति. निदेशक (खान), जयपुर क्षेत्र, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.04.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी के पति नरेन्द्र कुमार सक्सेना की नियुक्ति फॉरमैन द्वितीय के पद पर हुई थी। नरेन्द्र कुमार सक्सेना की मृत्यु हो जाने की दिनांक तक भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मृतक कर्मचारी के 9, 18 एवं 27 वर्ष के चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> ''1. यह है कि स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना का फिक्सेशन दिनांक 01/09/1986 व दिनांक 01/09/1996 एवं दिनांक 01/09/2006 का फिक्सेशन एरियर मुझे दिलवाने की गुहार है।
>
> 2. राज्य आदेश क्रमांक 20(1)एफडी (ग्रुप–2)/92 दिनांक 25/01/1992 (वित्त विभाग) के तहत् स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना की प्रथम नियुक्ति राज्य सेवा में 9 वर्ष, 18 वर्ष, एवं 27 वर्ष, क्रमशः दिनांक 16/12/1986. दिनांक 16/12/1995 एवं दिनाक 16/12/2004 हो जाने के कारण एक भी चयनित वेतनमान नहीं दिया गया है। अतः तीनो चयनित वेतनमान अनुमोदन करते हुए एरियर का भुगतान किए जाने की गुजारिश है।
>
> 3. प्रार्थना के पैरा न० एक व दो को मध्यनजर रखते हुए समस्त वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर एरियर दिलवाये जाने की गुहार है।
>
> 4. यह है कि स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना की निलंबन अवधि में नियमों के विरूद्ध असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है। स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना की निलम्बन अवधि 22/08/2001 से दिनांक

30/08/2003 तक एवं दिनाक 27/01/2006 से 02/10/2009 तक है। स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना को केवल मात्र दिनांक 01/07/2002 से दिनाक 30/09/2002 तक का ही निलंबन भत्ता का भुगतान किया गया है। (एनेक्चर 06)। जब कि पार्टी सख्या 02 के आदेश दिनांक 13/12/2012 से ही निलंबन अवधि में नियमों के विरूद्ध असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है।

यह असाधारण अवकाश की अवधि दिनांक 22/08/2001 से 30/06/2002, दिनांक 01/10/2002 से 30/08/2003 एवं दिनांक 27/01/2006 से 03/02/2006 तक है। आर०एस० आर० के नियम 55 के तहत् निलंबनकाल में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं है। एनेक्चर 07 पर उपलब्ध है। उक्त अवधि निलंबनकाल का पूर्ण वेतन भुगतान कराये जाने की गुहार है।

5 स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना की सेवा पुस्तिका में समस्त प्रकार के अवकाश हक जो कि राज्य सेवा करते हुए अर्जित किए हैं, उसका इंद्राज किये जाने की गुजारिश है। जिससे कि दिनांक 02/10/2009 मृत्यु समय तक जितना भी उपार्जित अवकाश हक बनता है वेतन प्राप्त किया जा सके।

6. प्रार्थिनी की पारिवारिक पेंशन दिनांक 02/10/2009 से आज तक स्वीकृत नही हुई है। दिलवाने की गुहार है। दिनांक 02/10/2009 से आज तक का एरियर एवं इसे निरंतर नियमानुसार दिलवाने की गुजारिश है।

7. यह है कि स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सक्सैना की सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन दिनांक 04/02/2006 से दिनांक 02/10/2009 तक (मृत्यु तिथि) पार्टी सख्या 03 के द्वारा किया गया है। जब कि भौतिक रूप से निलंबन अवधि का पूर्ण भुगतान नही किया गया है। सेवा सत्यापन का प्रमाण सेवा पुस्तिका पर उपलब्ध है। प्रतिलिपी एनेक्चर 02 पर उपलब्ध है। पूर्ण भुगतान दिलवाने की गुहार है। सम्पूर्ण बकाया भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाया जाये''

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि विभाग द्वारा अपीलार्थीया श्रीमती नीता वर्मा पत्नि स्वर्गीय श्री नरेन्द्र कुमार सक्सेना को समस्त भुगतान (यथा जीपीएफ राशि रूपये 143793/– डीडी नंबर–309109–11 दिनांक 20/29–9–2011 एवं राज्य बीमा राशि 143092/– डीडी नंबर–733473 दिनांक 17–5–2011 व फिक्सेशन एवं पुरानी वेतन राशि 1130/– व वेतन ऐरियर राशि 1045640/– जरिये डीडी नंबर–398706 दिनांक 30–3–2015) द्वारा किया जा चुका है। अपीलार्थीया के

पति की सेवाएँ प्रमाणित नही होने से तथा अपीलार्थीया के पति के बिना सूचना के अवकाश पर रहना, बार बार निलम्बित रहने से सेवा सत्यापन कराये जाने के कारण अब पुनः इस कार्यालय द्वारा पेंशन विभाग को पत्रांक–6 दिनांक 29–1–2016 भिजवाये जा चुके है, जो कि स्वीकृत हो चुके हैं। प्रोविजनल पारिवारिक पेंशन हेतु स्वर्गीय श्री नरेन्द्र कुमार सक्सेना की पत्नि अपीलार्थीया श्रीमती नीता वर्मा द्वारा समस्त फिक्सेशन पूर्ण होने के बाद ही पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाये जाने के कारण से लिखा गया। इस कारण से पेंशन इत्यादि देने में देरी हुई। अपीलार्थीया को जो भी नियमानुसार देय था, वह नियमानुसार अदा किया जा चुका है। शेष परिलाभ प्रक्रियाधीन है जो कि शीघ्रातिशीघ्र दिलाये जावेंगे।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी को जो भी लाभ देय था उसे अदा किया जा चुका है, जो शेष परिलाभ प्रक्रियाधीन है, उसे शीघ्रातिशीघ्र अपीलार्थी को प्रदान कर दिया जाएगा। प्रत्यर्थी विभाग के उपरोकत कथन को दृष्टिगत रखते हुए यह अपीलार्थी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को जो भी शेष परिलाभ बकाया है, उसके सम्बन्ध में अपीलार्थीया प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगी, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग तीन माह में अभ्यावेदन निस्तारित करेगा एवं प्रत्यर्थी विभाग बकाया शेष होने पर वह परिलाभ का भुगतान अपीलार्थीया को मय 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान करेगा।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)